न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, R.A.S.

प्रकरण संख्या 56 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

वेणुकटव मोहनलाल
निवासी बोरडा — प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~

बनाम

सोहनलाल वगैरह
निवासी बोरडा — विपक्षी / ~~विपक्षीगण~~

उपस्थित :— श्री अनिल शर्मा अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय दिनांक 10/4/18

प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ के ग्राम बोरडा तहसील शाहपुरा / ———जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 2211 रकबा 0.89 है कुल किता 1 रकबा 0.89 हैक्टयर का प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ एवं ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बोरडा संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बोरडा मे स्थित प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 1 रकबा 0.89 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रूपयें कायम किये जाते है जो प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/4/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) — मुहर)

(के. आर. यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)